रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 1973/श्रावण 18, 1895

No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 1973/SRAVANA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th August 1973

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1973—March 1974.*

No. 131-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974.

2. The followin gamendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974:—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
(1)	(2)	(3)
265	Section V, Appendix 41, Schedule 'A'	The following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns:—
	16 Ferro-Vanadium	3 100% firm orders on producers mentioned at Sl. Nos. 12, 13, 14 and 49 of Schedule F.

(1)	(2)	(3)
266	Section V, Appendix 41, Schedule 'B' S.No. 3, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "(i) Import of wire-rods in 10 mm and thicker allowed. (ii) Import of 25% of the requirement in sizes thinner than 10 mm allowed; balance 75% firm orders on producers mentioned at Serial No. 8 of Schedule F."
267	Section V, Appendix 41, Scheduled 'B', S.No. 14, Column 3.	The existing remark (a) may be deemed to have been substituted by the following:— "(a) Import of wire rods of EN:8, 24, 52 in sizes 8—13 mm allowed upto 50% of requirement; balance 50% in 50 Kgs. coil weight firm order on producers mentioned at Serial No. 26 of Schedule F."
267	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S.No. 22, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following;— "(i) Import of hardened and tempered bright wire allowed. (ii) Import of other categories of heald wire in sizes 0·416 mm and below allowed to the extent of 50% of the requirement; balance 50% firm orders on producers mentioned at S.No. 29 of Schedule F."
267	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S.No. 26, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "(i) Import of flexible card clothing wire allowed. (ii) Card clothing wires other than those specified in (i) above—100% firm orders on produceres mentioned at Serial Nos. 29 and 30 of Schedule F."
267	Section V, Appendix 41, Schedule 'B' S.No. 27, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "10% firm orders on producers mentioned at Serial Nos. 29 and 30 of Schedule F."
267-268	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S.No. 28, Column 3.	The existing remarks (b) and (c) may be deemed to have been substituted by the following:— "(b) 100% firm orders on producers mentioned at S.No. 29 of Schedule F. (c) Import of wires to IS-4454-67 Grade IV allowed upto 25% of the requirement and balance 75% firm orders on producers mentioned at S.Nos. 29, 30, 31 and 58 of Schedule F. Other wires 0·213 mm and thinner allowed."
268	Section V, Appendix 41, Schedule 'B', S.No. 30, Column 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following:— "100% firm orders on producers mentioned at Serial Nos. 29, 30 and 31 of Schedule F."
276	Section V, Appendix 41, Schedule 'F'.	The names and addresses of the indigenous producers mentioned at S. Nos. 1, 2, 3 and 4 may be deemed to have been substituted by the following:— "1. Hindustan Steel Ltd., Semis, Bars and Rods Division, No. 2, Fairlie Place, Calcutta-1. 2. Hindustan Steel Ltd., Flats and Tubular Products Division, No. 2, Fairlie Place, Calcutta-1. 3. Hindustan Steel Ltd., Structurals and Railway Material Division, No. 2, Fairlie Place, Calcutta-1. 4. Hindustan Steel Ltd., Alloy Steel Divisi 5, India Exchange Place (6th Floor), Calcutta-1

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

विषय.––अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० I 31–आई०टी०सी० (पीइन)/73.––आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक–वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. अप्रैल, 1973––मार्च, 1974 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक–वा० 1) में उचित स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:––

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्योरे
1	2	3
265	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'ए'	सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित प्रविष्टियां निविष्ट की गई समझी जाएं:––
1	2	3
15	फेरो-वैनेडियम	अनुसूची एफ की क्रम संख्या 12, 13, 14 और 49 पर उल्लिखित उत्पादकों को 100 प्रतिशत निश्चित आदेश ।
266	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनसूची 'बी', क्रम संख्या 3, कालम 3	वर्तमान अभ्युक्तियां निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाएं:–– "(1) 10 मि०मी० और इस से मोटी तार छड़ों का आयात अनुमेय है । (2) 10 मि०मी० से पतली साइजों में आवश्यकता के 25 प्रतिशत की अनुमति है; शेष 75 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 8 में उल्लिखित उत्पादकों को ।"

1	2	3
267	खंड 5, परिशिष्ट 41 अनुसूची 'बी' क्रम संख्या 14, कालम 3	वर्तमान अभ्युक्ति (ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "(ए) साइज में 8–13 मि०मी० 24,52 ई एन 18 की तार छड़ों का आयात आवश्यकता के 50 प्रतिशत तक अनुमेय है; शेष 50 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 26 में उल्लिखित उत्पादकों को 50 कि० ग्रा० कुंडल भार में ।"
267	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', क्रम सं० 22, कालम-3	वर्तमान अभ्युक्ति को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "(1) दृढ़ीभूत और मृदुलित तार का आयात अनुमित है । (2) साइज में 0.416 मि०मी० और इससे कम उपशमित तार की अन्य श्रेणियों का आयात आवश्यकता के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुमेय है; शेष 50 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 29 में उल्लिखित उत्पादकों को ।"
267	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', क्रम संख्या 26, कालम 3	वर्तमान अभ्युक्ति को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "(1) लचीले कार्ड क्लोदिंग तार का आयात अनुमेय है । (2) उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट किए गए कार्ड क्लोदिंग तारों से भिन्न–100 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्य 29 और 30 में उल्लिखित उत्पादकों को ।'
267	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी', क्रम संख्या 27, कालम 3	वर्तमान अभ्युक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए:— "100 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 29 तथा 30 में उल्लिखित उत्पादकों को ।'

1	2	3
267–268	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम संख्या 28, कालम 3	वर्तमान अभ्युक्तियां (बी) और (सी) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाएं:— "(बी)" 100 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 29 में उल्लिखित उत्पादकों को । (सी) आई एस–4454–67 ग्रेड 4 तारों का आयात आवश्यकता की 25 प्रतिशत तक अनुमेय है शेष 75 प्रतिशत निश्चित आदेश अनुसूची एफ की क्रम संख्या 29, 30, 31 और 58 में उल्लिखित उत्पादकों को । 0.213 मि०मी० और पतले अन्य ता अनुमेय है ।"
268	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'बी' क्रम संख्या 30 कालम 3	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:— "अनुसूची एफ की क्रम संख्या 29, 30 तथ 31 पर उल्लिखित उत्पादकों के लिए 100 प्रतिशत पक्के आदेश ।"
276	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'एफ'	क्रम संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पर उल्लिखि देशी उत्पादकों के नाम तथा पते निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएं:— "1. हिन्दुस्तान स्टील लि० सेमिस, बार्स एंड राड्स डिवीजन, संख्या 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता–1 2. हिन्दुस्तान स्टील लि० फ्लैट्स एंड ट्रबुलर प्रोडक्ट्स डिवीजन, संख्या 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता–1 3. हिन्दुस्तान स्टील लि०, स्ट्रक्चरल्स एंड रेलवे मेटिरियल डिवीजन नं० 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता–1 । 4. हिन्दुस्तान स्टील लि०, अलाय स्टील डिवीजन 5, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (छठी मंजिल) कलकत्ता–1।"

[एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973